

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 497 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:- 88 / 53 आरटीए



1. प्रवीण कुमार पुत्र भरत कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
2. योगेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
3. मनीष कुमार पुत्र छगन लाल जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।

वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र मोती राम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
2. रामप्रताप पुत्र पृथ्वी राम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
3. छगन लाल पुत्र पृथ्वी राज जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
4. नीलम पत्नी भरत कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
5. संध्या पुत्री भरत कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
6. ललीता पुत्री रामप्रताप जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
7. अल्का पुत्री रामप्रताप जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
8. गायत्री पुत्री छगन लाल जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
9. लालचन्द पुत्र जसराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
10. रिछपाल पुत्र जसराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
11. लक्ष्मण सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति-जटसिख निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ(राज.)।
12. जगतार सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति-जटसिख नि.-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
13. राम कुमार पुत्र हरचन्द जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
14. भजन लाल पुत्र स्व.अगंद पुत्र स्व. रामजीलाल पुत्र स्व.हेतराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
15. संजय पुत्र स्व.भागीरथ पुत्र स्व.हेतराम जाति-जाट नि.-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ(राज.)।
16. रामजी लाल पुत्र साजन राम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
17. मैना देवी पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
18. चन्द्रशेखर पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
19. सुमन पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
20. प्रनिका पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
21. चन्द्रकान्ता पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
22. संतोष पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
23. पंकज पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
24. विधा देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
25. प्रशना देवी पत्नी राम प्रताप जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
26. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री नरेश मण्डा अधिवक्ता - वादीगण
2. श्री संजय धारणियाँ प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 25
3. श्री राधे शर्मा अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या 9 ता 24
4. राज-पैरोकार प्रतिवादी संख्या 26

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पंजिकृत पता वही है जो वाद-पत्र के शीर्षक में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है।

वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 7 एनटीडब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 54/19 में 1.897 है। इसी चक के खाता संख्या 119/42 में 1.022 है। वादी संख्या 1 चक 7 एनटीडब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 54/19 में 1/33 हिस्सा अर्थात 0.115 है। इसी चक के खाता संख्या 119/42 में 0.215 है। इसी चक के खाता संख्या 53/8 में 0.433 है। चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 11/4 में 0.253 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसे प्रतिवादी संख्या 25 के जरिये बैयनामा क्रय की गई है। जिसकी जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में 1.897 है। व इसी चक के खाता संख्या 119/42 में 1.022 है। दर्ज नहरी कृषि भूमि खातेदारी अंकित है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है। जो कि विरासतन कृषि भूमि हैं। जो वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता से प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दीया संलग्न वाद पत्र है। चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में वादी संख्या 1 के नाम से 0.115 है। दर्ज है। वादी संख्या 1 का 0.939 है। हिस्सा बढ़ाकर कुल 1.054 है। व वादी संख्या 1 की माता प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 0.116 है। दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 4 को 0.938 है। हिस्सा बढ़ाकर कुल 1.054 है। किया जावे। वादी संख्या 2 को चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में 0.999 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 का 0.655 है। कृषि भूमि दर्ज मे से 0.220 है। हिस्सा कम किया जाकर 0.435 है। किया जावे। तथा पृथ्वीराज, राजेन्द्र कुमार, रामजी लाल का नाम कलमजन किया जावे। चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 53/8 में वादी संख्या 3 को 0.999 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 छगन लाल के नाम 1.687 है। दर्ज हिस्सा को कम कर 1.278 है। किया जावे। वादी संख्या 1 का 0.180 है। व प्रतिवादी संख्या 4 का 0.179 हिस्सा कम किया जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप का 0.169 है। हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 का 0.644 है। व प्रतिवादी संख्या 6 का 0.664 है। हिस्सा कम किया जावे। इसी चक के खाता संख्या 119/42 में प्रतिवादी संख्या 3 छगन लाल को 0.032 है। का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप का 0.135 है। हिस्सा कम किया जावे। तथा वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1,4,12 व काश्तकार हेतराम, हरचन्द का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को प्राप्त कृषि भूमि निम्न प्रकार से है:-

चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 54/19		
वादी संख्या 1 प्रवीण कुमार पुत्र भरत कुमार प्रतिवादी संख्या 4 नीलम पत्नी भरत कुमार बहिब जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
168/168	46	4/1/0.076 है. 4/2/0.008 है. 5/1/0.202 है. 5/5/0.051 है. 6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. 7/0.253 है. 14/0.253 है., 15/0.228 है. 15/2/0.025 है.
169/168	45	8,9,10/0.759 है.
खाता संख्या 53/8		
169/168	45	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है.
चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 54/19		
वादी संख्या 2 योगेश कुमार पुत्र रामप्रताप 0.999 है। प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप पुत्र पृथ्वीराज 0.434 है। जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-		
168/168	46	4/1/0.152 है. 4/2/0.017 है.
168/167	36	14/0.253 है. 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. 17/0.253 है. 24/0.253 है. 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है.
प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप पुत्र पृथ्वीराज 1.265 है। प्रतिवादी संख्या 25 प्रशनादेवी पत्नी रामप्रताप 0.253 है। जाति जाट निवासी बोलावाली के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 53/8		
169/167	37	11/0.253 है. 12/1/0.238 है. 12/2/0.015 है. गै.मु. रास्ता, 19/1/0.238 है. 19/2/0.015 है. गै.मु. रास्ता 20/0.253 है. 21/0.253 है. 22/1/0.238 है. 22/2/0.015 है. गै.मु.रास्ता
प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप पुत्र पृथ्वी राज जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :- खाता संख्या 119/42		

169/165	17	17/0.222 है. 18/0.221 है.
वादी संख्या 3 मनीष कुमार पुत्र छगनलाल 0.999 है. प्रतिवादी संख्या 2 छगनलाल पुत्र पृथ्वीराज 1.278 है. जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि :- खाता संख्या 53/8		
169/167	37	1/0.253 है. 2/1/0.238 है. 2/2/0.015 है. गै.मु.रास्ता 3/0.253 है. 9/1/0.238 है. 9/2/0.015 है. गै.मु. रास्ता 10/0.253 है.
169/166	26	18,19,22,23/1.012 है.
प्रतिवादी संख्या 2 छगनलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया खाता संख्या 119/42		
169/169	26	3,8,13/0.759 है.
169/165	17	23/0.253 है. 24/0.253 है.

वादी संख्या 1 की सगी बहिन प्रतिवादी संख्या 5 वादी संख्या 2 की सगी बहिन प्रतिवादी संख्या 6,7 वादी संख्या 3 की सगी बहिन प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने समस्त पैत्रक हिस्सा का परित्याग वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार अपने सगे भाईयों के पक्ष में कर दिया है अब उनका ग्राम बोलावाली में कोई हक वा हिस्सा शेष नहीं रहा है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अपने नाम से नामान्तरण करवाये या अन्य किसी तरह से अन्तरण करें तो प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 को कोई उज्र व एतराज नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने चक 7 एनटीडब्ल्यू के प.न. 169/167 मु.न. 37 के किला नं. 2/0.015 है. 9/0.015 है. 12/0.015 है. 19/0.015 है. 22/0.015 है. खेत में आने जाने व अपनी फसल की बुआई बिजाई करने व अवागमन के लिये काशत की सुविधा के लिये गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 4 के खण्ड (क)(ख)(ग) में वर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा देवें व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु अन्त में पिछले सप्ताह कतई स्पष्ट इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावें कि चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में वादी संख्या 1 के नाम से 0.115 है. दर्ज है वादी संख्या 1 का 0.939 है. हिस्सा बढ़ाकर कुल 1.054 है. व वादी संख्या 1 की माता प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 0.116 है. दर्ज है प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 0.116 है. दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 4 को 0.938 है. हिस्सा बढ़ाकर कुल 1.054 है. किया जावे वादी संख्या 2 को चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में 0.999 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे, प्रतिवादी संख्या 2 का 0.655 है. कृषि भूमि दर्ज मे से 0.220 है. हिस्सा कम किया जाकर 0.435 है. किया जावे तथा पृथ्वीराज, राजेन्द्र कुमार रामजी लाल का नाम कलमजन किया जावे। चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 53/8 में वादी संख्या 3 को 0.999 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 छगनलाल के नाम से 1.687 है. दर्ज हिस्सा को कम कर 1.278 है. किया जावे। वादी संख्या 1 का 0.180 है. व प्रतिवादी संख्या 4 का 0.179 हिस्सा कम किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप का 0.169 है. हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 का 0.644 है. व प्रतिवादी संख्या 6 का 0.664 है. हिस्सा कम किया जावे। इसी चक के खाता संख्या 119/42 में प्रतिवादी संख्या 3 छगन लाल को 0.032 है. का खातेदार काशतकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप का 0.135 है. हिस्सा कम किया जावे। तथा वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1, 4,12 व काशतकार हेतराम, हरचन्द, का नाम कलमजन किया जावे। चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 खाता संख्या 53/8 खाता संख्या 119/42 में वाद पत्र की चरण संख्या 4 के खण्ड (क)(ख)(ग) के अनुसार व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व 25 का खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जावे। चक 7 एनटीडब्ल्यू पं.न. 169/167 मु.न. 37 के किला नम्बर 2/0.015 है., 9/0.015 है. 12/0.015 है. 19/0.015 है. 22/0.015 है. खेत में आने जाने व अपनी फसल की बुआई बिजाई करने व आवागमन के लिये काशत की सुविधा के लिये गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 जरिये अधिवक्ता जवाब

दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिसका वादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 26 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 प्रवीण कुमार की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं इसलिए साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण बन्द किया गया।

वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई व बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 सह-काश्तकार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 घरू बंटवारा में अच्छी मंदा के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र एव काउन्टर क्लेम अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहे हैं। वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम का कोई विरोध नहीं है। अतः वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर पक्षकारो का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग-कायम कर रकमराज अलग कायम करने का आदेश देवे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के अधिवक्ताओ ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति दौराने बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 54/19 खाता नीलम वगैरा सम्वत 2070-2073 व इसी चक के खाता संख्या 53/8 खाता छगनलाल वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 एवं इसी चक के खाता संख्या 119/42 खाता छगनलाल वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है। वाद पत्र में कोई विरोध नहीं है। मुताबिक वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 घोषणा/खाता विभाजन के अधिकारी है। वाद पत्र में वादीगण/प्रतिवादीगणो का घरू बंटवारा मुताबिक खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रतिवादीगणों का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में वादी संख्या 1 के नाम से 0.115 है. दर्ज है वादी संख्या 1 का 0.939 है. हिस्सा बढ़ाकर कुल 1.054 है. व वादी संख्या 1 की माता प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 0.116 है. दर्ज है प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 0.116 है. दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 4 को 0.938 है. हिस्सा बढ़ाकर कुल 1.054 है. किया जावे वादी संख्या 2 को चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में 0.999 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 का 0.655 है. कृषि भूमि दर्ज मे से 0.220 है. हिस्सा कम कर 0.435 है. किया जावे तथा पृथ्वीराज, राजेन्द्र कुमार रामजी लाल का नाम कलमजन किया जावे। चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 53/8 में वादी संख्या 3 को 0.999 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 छगनलाल के नाम से 1.687 है. दर्ज हिस्सा को कम कर 1.278 है. किया जावे। वादी संख्या 1 का 0.180 है. व प्रतिवादी संख्या 4 का 0.179 हिस्सा कम किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप का 0.169 है. हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 का 0.644 है. व प्रतिवादी संख्या 6 का 0.664 है. हिस्सा कम कर इसी चक के खाता संख्या 119/42 में प्रतिवादी संख्या 3 छगन लाल को 0.032 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप का 0.135 है. हिस्सा कम किया जावे। तथा वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1, 4,12 व काश्तकार हेतराम, हरचन्द, का नाम कलमजन किया जावे। चक 7 एनटीडब्ल्यू पं.न. 169/167 मु.न. 37 के किला नम्बर 2/0.015 है., 9/0.015 है. 12/0.015 है. 19/0.015 है. 22/0.015 है. खेत में आने जाने व अपनी फसल की बुआई बिजाई करने व आवगमन के लिये काश्त की

सुविधा के लिये गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 54/19		
वादी संख्या 1 प्रवीण कुमार पुत्र भरत कुमार प्रतिवादी संख्या 4 नीलम पत्नी भरत कुमार बहिब जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
168/168	46	4/1/0.076 है. 4/2/0.008 है. 5/1/0.202 है. 5/5/0.051 है. 6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. 7/0.253 है. 14/0.253 है., 15/0.228 है. 15/2/0.025 है.
169/168	45	8,9,10/0.759 है.
खाता संख्या 53/8		
169/168	45	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है.
चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 54/19		
वादी संख्या 2 योगेश कुमार पुत्र रामप्रताप 0.999 है. प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप पुत्र पृथ्वीराज 0.434 है. जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-		
168/168	46	4/1/0.152 है. 4/2/0.017 है.
168/167	36	14/0.253 है. 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. 17/0.253 है. 24/0.253 है. 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है.
प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप पुत्र पृथ्वीराज 1.265 है. प्रतिवादी संख्या 25 प्रशनादेवी पत्नी रामप्रताप 0.253 है. जाति जाट निवासी बोलावाली के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 53/8		
169/167	37	11/0.253 है. 12/1/0.238 है. 12/2/0.015 है. गै.मु. रास्ता, 19/1/0.238 है. 19/2/0.015 है. गै.मु. रास्ता 20/0.253 है. 21/0.253 है. 22/1/0.238 है. 22/2/0.015 है. गै.मु.रास्ता
प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप पुत्र पृथ्वी राज जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :- खाता संख्या 119/42		
169/165	17	17/0.222 है. 18/0.221 है.
वादी संख्या 3 मनीष कुमार पुत्र छगनलाल 0.999 है. प्रतिवादी संख्या 2 छगनलाल पुत्र पृथ्वीराज 1.278 है. जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :- खाता संख्या 53/8		
169/167	37	1/0.253 है. 2/1/0.238 है. 2/2/0.015 है. गै.मु.रास्ता 3/0.253 है. 9/1/0.238 है. 9/2/0.015 है. गै.मु. रास्ता 10/0.253 है.
169/166	26	18,19,22,23/1.012 है.
प्रतिवादी संख्या 2 छगनलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया खाता संख्या 119/42		
169/169	26	3,8,13/0.759 है.
169/165	17	23/0.253 है. 24/0.253 है.
प्रतिवादी संख्या 9 व 10 लालचन्द पुत्र जसराज 1.518 है. रिछपाल पुत्र जसराज 1.518 है. जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 एनटीडब्ल्यू		
169/164	6	24/2/0.222 है. 25/2/0.196 है. 25/3/0.004 है. गै.मु. रास्ता 25/4/0.021 है. गै.मु. रास्ता
169/165	17	2,3,4,5,7,8,9,12,13,14/2.530 है. 17/0.031 है. 18/0.032 किलो की उत्तरी दिशा में किला नम्बर 13 व 14 के चिपते
लक्ष्मण सिंह 0.506 है. जगतार सिंह 0.253 है. पुत्रगण गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 एनटीडब्ल्यू		
169/165	17	19/0.253 है. 20/0.253 है.
168/169	36	15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है. गै.मु. खाला
रामजी लाल पुत्र साजन राम 0.759 चन्द्रशेखर, पंकज सहू पुत्रगण राजेन्द्र कुमार 0.759 है. बहिब जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 53/8		
168/164	7	16/0.253 है. 25/0.253 है.
169/164	6	20/0.253 है. 21/0.253 है.
169/165	17	1/0.253 है. 10/0.253 है.
रामजी लाल पुत्र साजन राम 0.506 चन्द्रशेखर पंकज सहू पुत्रगण राजेन्द्र कुमार 0.506 है. बहिब जाति जाट निवासी बोलावाली के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 119/42		
168/165	16	6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है. गै.मु. खाला 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. गै.मु. खाला
169/165	17	11/0.253 है.

अतः उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया ।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया





डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 497/2022

1. प्रवीण कुमार पुत्र भरत कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
2. योगेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
3. मनीष कुमार पुत्र छगन लाल जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।

वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र मोती राम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
2. रामप्रताप पुत्र पृथ्वी राम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
3. छगन लाल पुत्र पृथ्वी राज जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
4. नीलम पत्नी भरत कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
5. संध्या पुत्री भरत कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
6. ललीता पुत्री रामप्रताप जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
7. अल्का पुत्री रामप्रताप जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
8. गायत्री पुत्री छगन लाल जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
9. लालचन्द पुत्र जसराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
10. रिछपाल पुत्र जसराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
11. लक्ष्मण सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति-जटसिख निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ(राज.)।
12. जगतार सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति-जटसिख नि.-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
13. राम कुमार पुत्र हरचन्द जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
14. भजन लाल पुत्र स्व.अगंद पुत्र स्व. रामजीलाल पुत्र स्व.हेतराम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
15. संजय पुत्र स्व.भागीरथ पुत्र स्व.हेतराम जाति-जाट नि.-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ(राज.)।
16. रामजी लाल पुत्र साजन राम जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
17. मैना देवी पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
18. चन्द्रशेखर पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
19. सुमन पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
20. प्रनिका पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
21. चन्द्रकान्ता पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
22. संतोष पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
23. पंकज पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
24. विधा देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
25. प्रशाना देवी पत्नी राम प्रताप जाति-जाट निवासी-बोलावाली तह.-संगरिया जिला-हनुमानगढ (राज.)।
26. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री राधे शर्मा, श्री संजय धारणियां, वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में वादी संख्या 1 के नाम से 0.115 है. दर्ज है वादी संख्या 1 का 0.939 है. हिस्सा बढ़ाकर कुल 1.054 है. व वादी संख्या 1 की माता प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 0.116 है. दर्ज है प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 0.116 है. दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 4 को 0.938 है. हिस्सा बढ़ाकर कुल 1.054 है.

किया जावे वादी संख्या 2 को चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 54/19 में 0.999 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 का 0.655 है. कृषि भूमि दर्ज मे से 0.220 है. हिस्सा कम कर 0.435 है. किया जावे तथा पृथ्वीराज, राजेन्द्र कुमार रामजी लाल का नाम कलमजन किया जावे। चक 7 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 53/8 में वादी संख्या 3 को 0.999 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 छगनलाल के नाम से 1.687 है. दर्ज हिस्सा को कम कर 1.278 है. किया जावे। वादी संख्या 1 का 0.180 है. व प्रतिवादी संख्या 4 का 0.179 हिस्सा कम किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप का 0.169 है. हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 का 0.644 है. व प्रतिवादी संख्या 6 का 0.664 है. हिस्सा कम कर इसी चक के खाता संख्या 119/42 में प्रतिवादी संख्या 3 छगन लाल को 0.032 है. का खातेदार काशतकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप का 0.135 है. हिस्सा कम किया जावे। तथा वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1, 4,12 व काशतकार हेतराम, हरचन्द, का नाम कलमजन किया जावे। चक 7 एनटीडब्ल्यू पं.न. 169/167 मु.न. 37 के किला नम्बर 2/0.015 है., 9/0.015 है. 12/0.015 है. 19/0.015 है. 22/0.015 है. खेत में आने जाने व अपनी फसल की बुआई बिजाई करने व आवगमन के लिये काशत की सुविधा के लिये गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 54/19		
वादी संख्या 1 प्रवीण कुमार पुत्र भरत कुमार प्रतिवादी संख्या 4 नीलम पत्नी भरत कुमार बहिब जाति जाट निवासी बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
168/168	46	4/1/0.076 है. 4/2/0.008 है. 5/1/0.202 है. 5/5/0.051 है. 6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. 7/0.253 है. 14/0.253 है., 15/0.228 है. 15/2/0.025 है.
169/168	45	8,9,10/0.759 है.
खाता संख्या 53/8		
169/168	45	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है.
चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 54/19		
वादी संख्या 2 योगेश कुमार पुत्र रामप्रताप 0.999 है. प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप पुत्र पृथ्वीराज 0.434 है. जाति जाट निवासी बोलावाली के हक,हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि :-		
168/168	46	4/1/0.152 है. 4/2/0.017 है.
168/167	36	14/0.253 है. 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. 17/0.253 है. 24/0.253 है. 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है.
प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप पुत्र पृथ्वीराज 1.265 है. प्रतिवादी संख्या 25 प्रशनादेवी पत्नी रामप्रताप 0.253 है. जाति जाट निवासी बोलावाली के हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि खाता संख्या 53/8		
169/167	37	11/0.253 है. 12/1/0.238 है. 12/2/0.015 है. गै.मु. रास्ता, 19/1/0.238 है. 19/2/0.015 है. गै.मु. रास्ता 20/0.253 है. 21/0.253 है. 22/1/0.238 है. 22/2/0.015 है. गै.मु.रास्ता
प्रतिवादी संख्या 2 रामप्रताप पुत्र पृथ्वी राज जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि :- खाता संख्या 119/42		
169/165	17	17/0.222 है. 18/0.221 है.
वादी संख्या 3 मनीष कुमार पुत्र छगनलाल 0.999 है. प्रतिवादी संख्या 2 छगनलाल पुत्र पृथ्वीराज 1.278 है. जाति जाट निवासी बोलावाली के हक, हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि :- खाता संख्या 53/8		
169/167	37	1/0.253 है. 2/1/0.238 है. 2/2/0.015 है. गै.मु.रास्ता 3/0.253 है. 9/1/0.238 है. 9/2/0.015 है. गै.मु. रास्ता 10/0.253 है.
169/166	26	18,19,22,23/1.012 है.
प्रतिवादी संख्या 2 छगनलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया खाता संख्या 119/42		
169/169	26	3,8,13/0.759 है.
169/165	17	23/0.253 है. 24/0.253 है.
प्रतिवादी संख्या 9 व 10 लालचन्द पुत्र जसराज 1.518 है. रिछपाल पुत्र जसराज 1.518 है. जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 एनटीडब्ल्यू		
169/164	6	24/2/0.222 है. 25/2/0.196 है. 25/3/0.004 है. गै.मु. रास्ता 25/4/0.021 है. गै.मु. रास्ता
169/165	17	2,3,4,5,7,8,9,12,13,14/2.530 है.17/0.031 है. 18/0.032 किलो की उत्तरी दिशा में किला नम्बर 13 व 14 के चिपते

लक्ष्मण सिंह 0.506 है. जगतार सिंह 0.253 है. पुत्रगण गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 एनटीडब्ल्यू		
169/165	17	19/0.253 है. 20/0.253 है.
168/169	36	15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है. गै.मु. खाला
रामजी लाल पुत्र साजन राम 0.759 चन्द्रशेखर, पंकज सहू पुत्रगण राजेन्द्र कुमार 0.759 है. बहिब जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 53/8		
168/164	7	16/0.253 है. 25/0.253 है.
169/164	6	20/0.253 है. 21/0.253 है.
169/165	17	1/0.253 है. 10/0.253 है.
रामजी लाल पुत्र साजन राम 0.506 चन्द्रशेखर पंकज सहू पुत्रगण राजेन्द्र कुमार 0.506 है. बहिब जाति जाट निवासी बोलावाली के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 119/42		
168/165	16	6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है. गै.मु. खाला 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. गै.मु. खाला
169/165	17	11/0.253 है.

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....x.....नल.....x.....मुब्लिक.....x.....निल.....x.....बाबत्.....x.....निल.....100/-.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....x.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13/04/2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

